

FORM No. III

फॉर्म अहकाम (नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधीक्षारी इंगला मुकाम इंगला
पुरवागल बनाम अधीक्षारी
 मसूदा नं. सलीमा पत्र 251 (A) नं. 3/2021 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	----------------------------------	---

1. 14/2- प्राचीण की ओर से श्री रवींद्र कुमार खत्री
 एडवोकेट ने प्राचीण अन्वयित द्वारा 251 (A)
 राजस्थान कायदा अधीन 1955 के तहत प्रस्तुत
 किया गया जिसको बाद जज की रजिस्ट्रार किया
 गया। विपक्षी अधीक्षारी तहसीलदार इंगला से जमाने राशिया
 नीतिगत जवाब प्राप्त किया जाये। पत्रावली देखते तामील
 रिपोर्ट एवं जवाब में दिनांक 8/4/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधीक्षारी
इंगला

1. 22- पत्रावली पेश हुई। तमिल प्राचीण उपस्थित। विपक्षी सं. 1
 अधीक्षारी तहसीलदार इंगला द्वारा प्राचीण पत्र अन्वयित
 द्वारा 251 (A) राजस्थान कायदा अधीन 1955 के तहत रिपोर्ट
 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि जमाने राशिया में रिपोर्ट अधीक्षारी
 प्राचीण को अपना स्वतंत्र आराजी नम्बर 582/529
 रकबा 0.75 25 है एवं आराजी नम्बर 583/529 रकबा 0.75 25
 के अधीन आवागमन जमाने राशिया की बिलातम आराजी नं.
 364 से कर रहे हैं इस मामले के अलावा अन्य कोई राशिया
 मौके पर राजस्व रिकार्ड के अनुसार नहीं है। प्राचीण विमानाम
 आर.नं. 364 में राशिया के जमाने आवागमन हेतु उपयोग कर रहे
 राशिया को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु प्रस्तावित किया
 है। राशिया हेतु प्रस्तावित की गई भूखे 32 बीघर लगवाई
 पॉइंड 9 बीघर प्राचिकि 288 वर्गमीटर आवाह 0.0288 है
 भूखे राशिया हेतु प्रस्तावित किया है तथा राजस्व रिकार्ड
 को प्राचिकि रिपोर्ट के साथ प्रेषित की है। विपक्षी अधीक्षारी
 तहसीलदार इंगला से रिपोर्ट प्राप्त होकर शैलम पत्रावली
 है। तहसीलदार इंगला से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राशिया
 हेतु प्रस्तावित भूखे की वी एल.सी. दर के सन्वय में
 राशिया हेतु प्रस्तावित भूखे कि दुगुनी राशि जमा कराए
 जाने के तहसीलदार इंगला को पत्र जारी हो दिनांक
 11.4.20 22 को पेश हो।

उपखण्ड अधीक्षारी
इंगला



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इनिविल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम की तारीख जारी
---------------	----------------------------------	---

11-4-2021 पत्रावली पेशा हुई। जामातदार राजा द्वारा जारी आदेश दिनांक 08/4/2022 को पालना में तहसीलदार इंगला द्वारा अपने पत्र क्रमांक 246 दिनांक 8.4.2022 के द्वारा पत्नीगण को अपनी स्वतन्त्रिणी आराजी पर आवागमन हेतु जम अरबला की बिलानाम आराजी नम्बर 364 में से रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि के शत्रुफल की डी.एल.सी. दर से दुगुनी दारी 19893 बनती है। रिपोर्ट प्रेषित की जिसको शासित पत्रावली डिग्रा गया। तहसीलदार इंगला से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पत्नीगण के उपयोग में आनेवाली भूमि का डी.एल.सी. दर अनुसार राशि जमा करवाने हेतु तहसीलदार इंगला एवं पत्नीगण को आदेश जारी है। पत्रावली दिनांक 11/4/22 को पेशा है।

उपरोक्त अधिकारी

11/4/21 पत्रावली पेशा हुई। वकील सलीगण उपस्थित। लिपिकी भूमिधारी तहसीलदार इंगला ने अपने पत्र क्रमांक 172 दिनांक 11.4.2021 के द्वारा सलीगण से राशि जामे ईपाखान नम्बर 610789 84 दिनांक 11.4.2022 के द्वारा राशि 19893- रुपये राजस्व में जमा करा-गलान की प्रति प्रेषित की जिसको शासित पत्रावली किया गया। इस संबंध में वकील सलीगण की बहल को सुना गया। वकील सलीगण ने सलीगण पत्र में वर्णित राशियों को सौंहरसे हुए बहल में कथन किया गया है। सलीगण जम अरबला की बिलानाम आराजी नम्बर 364 में लेकर अपनी स्वतन्त्रिणी आराजीमातपर आवागमन कर रहे हैं। लिबु बरसा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। नियमानुसार बरसा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। इस पत्रावली का अवलोकन कर पत्नीगण डिग्रा गया बाद पत्नीगण पाया गया कि सलीगण को अपनी स्वतन्त्रिणी आराजीमात पर आवागमन बिलानाम आराजी नम्बर 364 में ले कर रहे हैं। तथा मौके पर अन्ध्र कोर्ट बैकलिबु रास्ता उपलब्ध नहीं है। नियमानुसार रास्ता बिलानाम में से तहसीलदार इंगला से प्रस्तावित रास्ता अनुसार डिग्रा जाना जामातगत है। अतः सलीगण का सलीगण पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) राजस्वधान कार्रवाई अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। तथा जम अरबला की बिलानाम

[Handwritten signature]

दिनांक
इस
ल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिचिल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

आराजी नम्बर 364 ने से 32 मीटर ऊंचा एव 9
मीटर चौड़ा पारिके 288 वर्गमीटर क्षेत्र 0.0288
हेक्टेर को सार्वजनिक सड़क दर्ज किये जानेका
अर्द्ध दिग जाता है। अर्द्ध प्रक से लिखा
जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
केवल नुमांर बनेकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
इंजला